सं. 69] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 6, 2005/वैशाख 16, 1927
No. 69] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 6, 2005/VAISAKHA 16, 1927

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

शुद्धिपत्र

(अप्रैल 2005 के 27वें दिन पारित)

मुंबई 3 मई, 2005

सं. टीएएमपी/64/2004-केपीटी.—इस प्राधिकरण ने, टूना पत्तन के दरमान के संशोधन हेतु कांडला पत्तन न्यास से प्राप्त एक प्रस्ताव के विषय से संबंधित प्रकरण सं. टीएएमपी/64/2004-केपीटी में 15 मार्च, 2005 को एक आदेश पारित किया था। यह आदेश भारत का राजपत्र, असाधरण (भाग III खण्ड 4) में 6 अप्रैल, 2005 को राजपत्र सं. 46 के माध्यम से अधिसूचित किया गया था।

2. कथित आदेश के पैरा 9 (xv) के अंतर्गत उप-पैरा को निम्नानुसार पढ़ा जाना चाहिए :—

''टूना पत्तन के लिए अनुमोदित दरों की वैधता, इस प्राधिकरण द्वारा अन्य प्रकरणों में निर्धारित प्रशुल्क वैधता चक्र के अनुरूप यदि कांडला पत्तन की सामान्य समीक्षा के साथ इसकी समीक्षा की गई तो 2 वर्ष या उससे कम अवधि के लिए रहेगी। टूना पत्तन के लिए दरों की अगली समीक्षा पर, समग्र पत्तन की वित्तीय स्थिति के आकलन हेतु कांडला पत्तन के दरमान की अगली समीक्षा/संशोधन के साथ विचार किया जाएगा।''

अ. ल. बोंगिरवार, अध्यक्ष

[विज्ञापन/III/IV/143/05-असा.]